<u>न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 53 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) **(प्रार्थी)**

बनाम

1. इल्लामुद्दीन पुत्र कयामुद्दीन जाति मुसलमान,
2. कमलाबाई पत्नि रामचन्द्र, जाति गुर्जर, निवासीगण मांगरोल जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

<u>रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी क्र.सं. 1)
3. श्री हरीश राजावत अभिभाषक (अप्रार्थी क्र.सं. 2)

<u>आदेश दिनांक– 28.10.2022</u>

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मांगरोल में जमाबंदी सम्वत् 2069–72 आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., किस्म किस्म नहरी I अप्रार्थी क्रम का हिस्सा 1/7 व अप्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 6/7 खाते दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम मांगरोल के साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से कायम हुए हैं। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2044–63 के अनुसार ग्राम मांगरोल में साबिक खसरा नं. 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी क्रम 1 के पिता कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी निवासी बारां के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक [illegible] आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये ग[illegible]

उक्त आवंटन/[illegible] अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 [illegible] 1536/03 उनवा[illegible]ल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, ज[illegible] के निर्णय दिनांक [illegible]4 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:33 IST
Reason: SelfAttested

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम मांगरोल की आराजी साबिक खसरा नं. 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा सम्वत् 2034–37 में किस्म माल–2 दर्ज थी। उक्त आराजी कृषि भूमि होने से अप्रार्थी के पिता कयामुद्दीन को कीमतन आवंटित हुई थी। आंवटित भूमि कीमत जमा करने के उपरान्त जर्ये नामातकरण अप्रार्थीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये। उक्त आराजी के समीप नहर निकल जाने से सेटलमेन्ट 2044 से 2063 की कार्यवाही में किस्म माल–2 को किस्म नहरी–I में दर्ज किया। साबिक खसरा नं. 701 की आराजी कभी भी तलाई नही रही। बल्कि कृषि काश्त योग्य भूमि थी। साबिक खसरा नंबर 701 के नये खसरा नं. 645 रकबा 0.45 है. किस्म नहरी–I कायम किये जो विधि प्रक्रिया अनुरूप एवं मौजूदा स्थिति अनुरूप दर्ज किये है। अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार जनहित याचिका के निर्णय दिनांक 02.09.2004 में पारित दिशा निर्देशों से असंगत होने से अस्वीकार है। खसरा नंबर 645 रकबा 0.44 है. किस्म नहरी आराजी अप्राथी पिता कयामुद्दीन को विधिवत आवंटित हुई, आंवटन उपरान्त आवंटित भूमि पर अप्राथीगण के पिता कयामुद्दीन एवं उनके बाद अप्रार्थीगण आराजी को काश्त कर अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पृथ्वी पर भौगोलिक परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है। आदिकाल से थल व जल की भौगोलिक स्थितियां सदैव परिवर्तनीय रही है। वर्तमान खसरा नंबर 645 के साबिक खसरा नंबर 701 की भूमि की किस्म के परिवर्तन हुये राजस्व रिकॉर्ड एवं उक्त आराजियात की तत्समय की मौजूदा स्थिति एंव भू उपयोग की पूर्ण जांच पडताल किये बिना ही पुराने रिकॉर्ड के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो निरस्तनीय है। अतः उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। अभिभाषक अप्रार्थी कम 2 एवं अप्रार्थी कम 2 निरन्तर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा उनकी ओर से जवाब भी पेश नही किया गया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3– बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., किस्म किस्म नहरी I मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069–72 अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/7 व अप्रार्थी कम 2 का हिस्सा 6/7 के खाते दर्ज है। उक्त आराजी हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है. के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम मांगरोल की आराजी साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा की मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014–23 किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त संवत 2044–63 में ग्राम मांगरोल की उक्त आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी कम 1 के पिता कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी निवासी बारां के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 [illegible] रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय [illegible] उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को [illegible] करना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि [illegible] गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4– अभिभाषक अप्रार्थी कम 1 ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में काश्त योग्य भूमि है जिसके आस पास भी काश्त योग्य

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:33 IST
Reason: SelfAttested

भूमि स्थित है। मौके पर कोई तलाई नहीं है। उक्त आराजी अप्रार्थी के पिता को विधिवत आवंटन हुई है। आराजी अप्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी के खाते दर्ज होने के लगभग 30 वर्ष से अधिक समय पश्चात तहसीलदार मांगरोल द्वारा उक्त रेफरेन्स पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

5— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम मांगरोल की जमाबंदी सम्वत् 2069—72 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., किस्म किस्म नहरी I अप्रार्थी कम 1 के हिस्से 1/7 व अप्रार्थी कम 2 के हिस्से 6/7 से खाते दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044—63 ग्राम मांगरोल की उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है. साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2014—23 किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त संवत 2044—63 में ग्राम मांगरोल की उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है., नहरी I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के पिता कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी निवासी बारां के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै0मु0 तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी कम 1 के पिता को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी कम 1 व 2 के वर्तमान में वाके ग्राम मांगरोल में खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नंबर 645 रकबा 0.45 है. किस्म नहरी—I को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व साबिक खसरा नंबर 701 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी के पिता कयामुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन मुसलमान काजी निवासी बारां को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7— तहसीलदार, मांगरोल को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.21 12:53:33 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)